



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ७ अंक २८(२)]

शुक्रवार, सप्टेंबर २४, २०२१/आश्विन २, शके १९४३

[पृष्ठे २८, किंमत : रुपये १.००

असाधारण क्रमांक ३५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated 5th August 2021
14 Shravana, Saka, 1943

Order

No. 76/MT-LA/230/2019. — WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 *vide* its Notification No. 464/MT-LA/2019, dated 27th September 2019 and **Mahendra Rajendra Borade** had contested the aforesaid election from 230-Beed Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24th October 2019 ;

AND WHEREAS, as per section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive ;

AND WHEREAS, as per section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under section 77 ;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Beed District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33, dated 17th February 2020, **Mahendra Rajendra Borade** contesting candidate from 230-Beed Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law ;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Beed District, Maharashtra, a Show Cause Notice, dated 25th August 2020 was issued by the Election Commission of India under Sub-Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Mahendra Rajendra Borade** for non-submission of account of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 25th August 2020, **Mahendra Rajendra Borade** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/ rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice ;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 15th September 2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer and Collector, Beed District *vide* his letter No. 2020/General Election/WS-517, dated 22nd September 2020 ;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Beed *vide* his letter No. 2021/ election/WS-628, dated 22nd July 2021, it has been stated that **Mahendra Rajendra Borade** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well ;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mahendra Rajendra Borade** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ;

AND WHEREAS, section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

" If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act ; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the *Official Gazette*, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mahendra Rajendra Borade**, at Post Higni (Bu), Tal. Dist. Beed, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 230-Beed Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

S. K. DAS,
Secretary,

Election Commission of India.

To,

Mahendra Rajendra Borade,

At Post Higni (Bu), Tal. Dist. Beed.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 5 अगस्त 2021
14, श्रावण, 1943 (शक)**आदेश**

सं. 76/एम.टी.एल.ए./230/2019.—यतः आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.एल.ए./2019, दिनांक 27 सितंबर 2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन, आयोजित करने की घोषणा की थी और **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 230-बीड विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24 अक्तूबर 2019 थी ;

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नामनिर्देशित किया गया है, और उस के परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा ;

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़नेवाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी ;

और यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 (2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर. 1526/19/33, दिनांक 17 फरवरी 2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, बीड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 230-बीड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, बीड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** को दिनांक 25 अगस्त 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 अगस्त 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/ अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें ;

और यतः **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 15 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, बीड जिला द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2020 के अपने पत्र सं. 2020/सामान्य निर्वाचन/डब्ल्यू.एस-517 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, बीड द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2021 के अपने पत्र सं. 2021/इलेक्शन/डब्ल्यू.एस-628 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।”

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 230-बीड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **महेंद्र राजेन्द्र बोराडे**, मु. पो. हिंगणी (बु), ता. जि. बीड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

महेंद्र राजेन्द्र बोराडे,
मु. पो. हिंगणी (बु), ता. जि. बीड.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated 17th August 2021
26 Shravana, Saka, 1943

Order

No. 76/MT-LA/171/2019.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 *vide* its Notification No. 464/MT-LA/2019, dated 27th September 2019 and **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** had contested the aforesaid election from 171- Mankhurd Shivaji Nagar Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24th October 2019 ;

AND WHEREAS, as per section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive ;

AND WHEREAS, as per section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under section 77 ;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Mumbai Suburban District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33, dated 17th February 2020, **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** contesting candidate from 171- Mankhurd Shivaji Nagar Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law ;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Mumbai Suburban District, Maharashtra, a Show Cause Notice dated 2nd March 2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** for non submission of account of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 2nd March 2020, **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice ;

AND WHEREAS, the said notice was received by the father of **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** on 11th March 2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's father has been submitted to the Commission by District Election Officer and Collector, Mumbai Suburban District *vide* his letter No. Ele/Deo-msd/Election Accounts/Sr. No. 273/2020, dated 14th August 2020 ;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Mumbai Suburban District *vide* his letter No. Eln/Msd/D-5/Eln.Exps. 171/2021, dated 9th July 2021, it has been stated that **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well ;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

if the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act ; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the *official Gazette*, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh**, Plot No. 33-U-I, Shivajinagar, Govandi, Mumbai-400 043, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 171- Mankhurd Shivaji Nagar Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

S. K. DAS,

Secretary,

Election Commission of India.

To,

Mohammed Siraj Mohammed Iqbal Shaikh,
Plot No.330U-1, Shivajinagar,
Govandi, Mumbai 400 043.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक $\frac{17 \text{ अगस्त } 2021}{26, \text{ श्रावण, } 1943 \text{ (शक)}}$ **आदेश**

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./171/2019.—यतः आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019, दिनांक 27 सितंबर 2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 171-मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24 अक्टूबर 2019 थी ;

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नामनिर्देशित किया गया है, और उस के परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा ;

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी ;

और यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 (2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर. 1526/19/33, दिनांक 17 फरवरी 2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, मुंबई उप-नगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 171-मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उप-नगर जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** को दिनांक 2 मार्च 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 2 मार्च 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें ;

और यतः **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** के पिता द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 11 मार्च 2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के पिता से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उप-नगर जिला द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2020 के अपने पत्र सं निर्वाचन/डी.ई.ओ.-एम.एस.डी./निर्वाचन लेखा/क्र.सं. 273/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, एवं कलेक्टर, मुंबई उप-नगर जिला द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2021 के अपने पत्र सं ई.एल.एन./एम.एस.डी/डी-5/ई.एल.एन.ई.एक्स.पी.एस.171/2021 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित नहीं है ;

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।”

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 171-मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख** प्लॉट सं. 33-यू-1, शिवाजीनगर, गोवंडी, मुंबई 400 043 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख,
प्लॉट सं. ३३-यू-१, शिवाजीनगर,
गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated 17th August 2021
26 Shravana, Saka, 1943

Order

No. 76/MT-LA/83/2019. — WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly. 2019 *vide* its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27th September 2019 and Vishal Datta Shinde had contested the aforesaid election from 83-Kinwat Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24th October 2019;

AND WHEREAS, as per section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive ;

AND WHEREAS, as per section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under section 77 ;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nanded District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17th February 2020, **Vishal Datta Shinde** contesting candidate from 83-Kinwat Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law ;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nanded District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 25th August 2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Vishal Datta Shinde** for non submission of account of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 25th August 2020, **Vishal Datta Shinde** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice ;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Vishal Datta Shinde** on 16th April 2021, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer and Collector, Nanded District *vide* his letter No. 2020/GB-3/Election/EI.Exp/CR dated 10 May 2021 ;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nanded *vide* his letter No. 2020/GB-3/Election/EI.Exp/CR. dated 6th July 2021, it has been stated that **Vishal Datta Shinde** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well ;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Vishal Datta Shinde** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ;

AND WHEREAS, section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“if the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act ; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the *Official Gazette*, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Vishal Datta Shinde**, resident of Sai Shradha Layout Mahur, Tq. Mahur Dist. Nanded. The contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 83-Kinwat Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

S. K. DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

To,
Vishal Datta Shinde,
Sai Shradha Layout Mahur,
Tq. Mahur, Dist. Nanded.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक $\frac{17 \text{ अगस्त } 2021}{26, \text{ श्रावण, } 1943 \text{ (शक)}}$ **आदेश**

सं. 76/एम.टी.एल.ए./83/2019.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019, दिनांक 27 सितंबर 2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **विशाल दत्ता शिंदे** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 83, किनवट विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24 अक्टूबर 2019 थी ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नामनिर्देशित किया गया है, और उस के परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 (2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर. 1526/19/33, दिनांक 17 फरवरी 2020 के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर, नांदेड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 83-किनवट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **विशाल दत्ता शिंदे** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **विशाल दत्ता शिंदे** को दिनांक 25 अगस्त 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 अगस्त 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **विशाल दत्ता शिंदे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें ;

और यतः, **विशाल दत्ता शिंदे** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 16 एप्रिल 2021 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, एवं कलक्टर, नांदेड जिला द्वारा दिनांक 10 मे 2021 के अपने पत्र सं 2020/जी.बी.-3/निर्वाचन/ई.एल.ईएक्सपी./सी.आर.द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2021 के अपने पत्र सं 2020/जी.बी.-3/निर्वाचन/ई.एल.ईएक्सपी./सी.आर. के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **विशाल दत्ता शिंदे**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **विशाल दत्ता शिंदे** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।”

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 83-किनवट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **विशाल दत्ता शिंदे**, निवासी साई श्रद्धा लेआऊट माहुर ता. माहुर, जि. नांदेड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

विशाल दत्ता शिंदे,
साई श्रद्धा लेआऊट माहुर,
ता. माहुर, जि. नांदेड

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated 19th August 2021
28 Shravana, Saka, 1943

Order

No. 76/MT-LA/86/2019.— WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 *vide* its Notification No.464/MT-LA/2019, dated 27th September 2019 and **Imran Bashir** had contested the aforesaid election from 86-Nanded North Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24th October 2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within Thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nanded District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's Letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33, dated 17th February 2020, **Imran Bashir** contesting candidate from 86- Nanded North Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nanded District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 2nd March 2020 was issued by the Election Commission of India under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Imran Bashir** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 2nd March 2020, **Imran Bashir** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 11th June 2021, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer and Collector, Nanded District *vide* his letter No. 2020/GB-3/Election/EI.Exp/CR, dated 16th June 2021;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nanded *vide* his letter No. 2020/GB-3/Election/EI.Exp/CR, dated 14th August 2021, it has been stated that **Imran Bashir** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Imran Bashir** has failed to lodge an account of election, expenses and has no good reason or justification for the failure ;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:—

“If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the *Official Gazette*, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951. The Election Commission of India hereby declares **Imran Bashar**, Pirhburan Nagar Gali No. 5, Nanded, Tq., Dist. Nanded, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 86- Nanded North Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

S. K. DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

To,
Imran Bashar,
Pirhburan Nagar Gali No. 5,
Nanded, Tq., Dist. Nanded.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 19 अगस्त 2021
28, श्रावण, 1943 (शक)**आदेश**

सं. 76/एम.टी.एल.ए./86/2019.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019, दिनांक 27 सितम्बर 2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और इमरान बशर ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 86-नांदेड उत्तर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24 अक्टूबर 2019 थी ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नामनिर्देशित किया गया है, और उस के परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 (2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर. 1526/19/33, दिनांक 17 फरवरी 2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 86-नांदेड उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, इमरान बशर विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, इमरान बशर को दिनांक 2 मार्च 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 2 मार्च 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, इमरान बशर को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें ;

और यतः, इमरान बशर द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 11 जून 2021 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, एवं कलेक्टर, नांदेड जिला द्वारा दिनांक 16 जून 2021 के अपने पत्र सं 2020/जी.बी.-3/इलेक्शन/ई.एल. ईएक्सपी/सी.आर. द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2021 के अपने पत्र सं 2020/जी.बी.-3/इलेक्शन/ई.एल.ईएक्सपी./सी.आर. के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इमरान बशर, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि इमरान बशर निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित नहीं है ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में यह अनुबंधित किया गया है कि :—

“ यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।”

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 86-नांदेड उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, इमरान बशर, पिरहबुरान नगर गली सं. 5, नांदेड, ता. जिला नांदेड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

इमरान बशर,
पिरहबुरान नगर गली सं. ५,
नांदेड, ता. जिला नांदेड।

SECRETARIATE OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 19th August 2021
28 Shravana, Saka, 1943

Order

No. 76/MT-LA/168/2019.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 *vide* its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27th September 2019 and **Sumeet Pandurang Baraskar** had contested the aforesaid election from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24th October, 2019 ;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive ;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77 ;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Mumbai Suburban District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33, dated 17th February 2020, **Sumeet Pandurang Baraskar** contesting candidate from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law ;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Mumbai Suburban District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 2nd March 2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Sumeet Pandurang Baraskar** for non submission of account of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 2nd March 2020, **Sumeet Pandurang Baraskar** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice ;

AND WHEREAS, the said notice was received by brother of **Sumeet Pandurang Baraskar** on 12th March 2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's brother has been submitted to the Commission by District Election officer, Mumbai Suburban District *vide* his letter No.Ele/Deo-msd/ Election Accounts/Sr.no. 272/2020, dated 14th August 2020 ;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Mumbai Suburban District *vide* his letter No. Eln/Msd/D-5/Eln.Exp. 168/2021/355, dated 18th August 2021, it has been stated that **Sumeet Pandurang Baraskar** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well ;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sumeet Pandurang Baraskar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person —

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the *official Gazette*, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sumeet Pandurang Baraskar**, resident of A-10, Achanak Hou.Soc. Satyanagar, Andheri- Ghatkopar Link Road, Kurla (W), Mumbai- 400 072, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 168-Chandivali Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

S. K. DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

To,

Sumeet Pandurang Baraskar,
A-10, Achanak Hou.Soc. Satyanagar,
Andheri-Ghatkopar Link Road, Kurla (W.),
Mumbai 400 072.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक $\frac{19 \text{ अगस्त } 2021}{28, \text{ श्रावण, } 1943 \text{ (शक)}}$ **आदेश**

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./168/2019.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019, दिनांक 27 सितम्बर 2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **सुमित पांडुरंग बारस्कर** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 168-चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24 अक्टूबर 2019 थी ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उस के परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 (2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर. 1526/19/33, दिनांक 17 फरवरी 2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 168-चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **सुमित पांडुरंग बारस्कर** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **सुमित पांडुरंग बारस्कर** को दिनांक 2 मार्च 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 2 मार्च 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **सुमित पांडुरंग बारस्कर** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें ;

और यतः, **सुमित पांडुरंग बारस्कर** के भाई द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 12 मार्च 2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के भाई से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2020 के अपने पत्र सं ईएलई/डीईओ-एमएसडी/इलेक्शन अकाउंट/क्रम. सं. 272/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2021 के अपने पत्र सं ई.एल.एन./एम.एस.डी/डी-5/ई.एल.एन.ई.एक्स.पी. 168/2021/355 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **सुमित पांडुरंग बारस्कर**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **सुमित पांडुरंग बारस्कर** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में यह अनुबंधित किया गया है कि :—

“ यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग **शासकीय राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित रहेगा।”

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 168-चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **सुमित पांडुरंग बारस्कर**, निवासी-ए-10, अचानक हौ. सो., सत्यनगर, अंधेरी-घाटकोप लिंक रोड, कुर्ला (प.), मुंबई 400 072. को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

सुमित पांडुरंग बारस्कर,
ए-10, अचानक हौ. सो., सत्यनगर,
अंधेरी-घाटकोप लिंक रोड, कुर्ला (प.),
मुंबई 400 072.

SECRETARIATE OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated 19th August 2021
28, Shravana, Saka, 1943

Order

No. 76/MT-LA/168/2019.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 *vide* its Notification No.464/MT-LA/2019, dated 27th September 2019 and **Brijesh Surendranath Tiwari** had contested the aforesaid election from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24th October 2019 ;

AND WHEREAS, as per section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive ;

AND WHEREAS, as per section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under section 77 ;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Mumbai Suburban District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33, dated 17th February 2020, **Brijesh Surendranath Tiwari** contesting candidate from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law ;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Mumbai Suburban District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 2nd March 2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Brijesh Surendranath Tiwari** for non submission of account of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 2nd March 2020, **Brijesh Surendranath Tiwari** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice ;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Brijesh Surendranath Tiwari** on 11th March 2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, Mumbai Suburban District *vide* his letter No. Ele/Deo-msd/Election Accounts/ Sr. No. 272/2020, dated 14th August 2020 ;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Mumbai Suburban District *vide* his letter No. Eln/Msd/D-5/Eln.Exp. 168/2021/355, dated 18th August 2021, it has been stated that **Brijesh Surendranath Tiwari** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well ;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Brijesh Surendranath Tiwari** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person —

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the *official Gazette*, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Brijesh Surendranath Tiwari**, resident of Room No. 6, Matruchaya, Housing Society, L.B.S. Nagar, Andheri-Ghatkopar Link Road, Sakinaka, Mumbai, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 168-Chandivali Assembly Constituency, of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

S. K. DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

To,

Brijesh Surendranath Tiwari,
Room No. 6, Matruchaya, Housing Society,
L.B.S. Nagar, Andheri-Ghatkopar Link Road,
Sakinaka, Mumbai.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक $\frac{19 \text{ अगस्त } 2021}{28, \text{ श्रावण, } 1943 \text{ (शक)}}$ **आदेश**

सं. 76/एम.टी.एल.ए./168/2019.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019, दिनांक 27 सितम्बर 2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के **168-चान्दीवली** विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24 अक्टूबर 2019 थी ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नामनिर्देशित किया गया है, और उस के परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 (2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर. 1526/19/33, दिनांक 17 फरवरी 2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के **168-चान्दीवली** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** को **दिनांक 2 मार्च 2020** को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **2 मार्च 2020** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें ;

और यतः, **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक **11 मार्च 2020** को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक **14 अगस्त 2020** के अपने पत्र सं. ईएलई/डीईओ-एमएसडी/इलेक्शन अकाउंट/क्रम. सं. 272/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक **18 अगस्त 2021** के अपने पत्र सं. ई.एल.एन./एम.एस.डी/डी-5/ई.एल.एन.ई.एक्स.पी. 168/2021/355 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि :—

“ यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग **शासकीय राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।”

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य के 168-चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी**, निवासी-रुम. नं. 6, मावृछाया हाऊसिंग सोसायटी, एल. बी. एस. नगर, अंधेरी-घोटकोपर लिंक रोड, साकीनाका, मुंबई को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

बृजेश सुरेन्द्रनाथ तिवारी,
रुम. नं. 6, मावृछाया हाऊसिंग सोसायटी,
एल. बी. एस. नगर, अंधेरी-घोटकोपर लिंक रोड,
साकीनाका, मुंबई.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 19th August 2021
28 Shravana, Saka, 1943

Order

No. 76/MT-LA/168/2019. — WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 *vide* its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27th September 2019 and **Mohd Imran Qureshi** had contested the aforesaid election from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24th October 2019 ;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive ;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77 ;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Mumbai Suburban District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17th February 2020, **Mohd Imran Qureshi** contesting candidate from 168-Chandivali Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law ;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Mumbai Suburban District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 2nd March 2020 was issued by the Election Commission of India under Sub-Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Mohd Imran Qureshi** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub-Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 2nd March 2020, **Mohd Imran Qureshi** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the brother of **Mohd Imran Qureshi** on 11th March 2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's brother has been submitted to the Commission by District Election Officer, Mumbai Suburban District *vide* his letter No.Ele/Deo-msd/Election Accounts/Sr.no.272/2020 dated 14th August 2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Mumbai Suburban District *vide* his letter No. Eln/Msd/D-5/Eln.Exp. 168/2021/355 dated 18th August 2021, it has been stated that **Mohd Imran Qureshi** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well ;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mohd Imran Qureshi** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that : —

“If the Election Commission is satisfied that a person —

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act ; and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the *official Gazette*, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mohd Imran Qureshi**, resident of Jai Hind Mutton Shop, Unwala Compound, Kurla Andheri Road, Jari Mari, Mumbai 400 072, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 168-Chandivali Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House or Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

S. K. DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

To,

Mohd Imran Qureshi,
Jai Hind Mutton Shop,
Unwala Compound, Kurla-Andheri Road,
Jari Mari, Mumbai- 400 072.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 19 अगस्त 2021
28, श्रावण, 1943 (शक)**आदेश**

सं. 76/एम.टी.-एल.ए./168/2019.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 464/एम.टी.-एल.ए./2019, दिनांक 27 सितंबर 2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 168-चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24 अक्टूबर 2019 थी ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 (2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर. 1526/19/33, दिनांक 17 फरवरी 2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 168-चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** को दिनांक 2 मार्च 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 2 मार्च 2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें ;

और यतः, **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** के भाई द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 11 मार्च 2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के भाई से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2020 के अपने पत्र सं. ईएलई/डीईओ-एमएसडी/इलेक्शन अकाउंट/क्रम. सं. 272/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंबई उपनगर जिला द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2021 के अपने पत्र सं ई.एल.एन./एम.एस.डी/डी-5/ई.एल.एन.ई.एक्स.पी. 168/2021/355 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **मोहम्मद इम्रान कुरेशी**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मोहम्मद इम्रान कुरेशी** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित नहीं है ;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में यह अनुबंधित किया गया है कि :—

“ यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग **शासकीय राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।”

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 168-चान्दीवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मोहम्मद इम्रान कुरेशी**, निवासी-जय हिंद मटण शॉप, उनवाला कंपाऊंड, कुर्ला-अंधेरी रोड, जरी मरी, मुंबई 400 072 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

मोहम्मद इम्रान कुरेशी,
जय हिंद मटण शॉप, उनवाला कंपाऊंड,
कुर्ला-अंधेरी रोड, जरी मरी,
मुंबई 400 072.

क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र. १५२६/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (२) विभागीय आयुक्त (सर्व)
- (३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व)
- (४) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व)
- (५) विधानसभा मतदारसंघ निवडणूक निर्णय अधिकारी (सर्व) (जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत)
- (६) निवडनस्ती.

शरद दळवी,

अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.